निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SR-27/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उप निबंधक उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उप निबंधक उत्तरकाशी के माह 04/2015 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार मिश्रा एवं श्री विनय कुमार द्विवेदी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 02.06.2018 से 07.06.2018 तक श्री आर.एस.नेगी-II वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी.के.श्रीवास्तव, एवं श्री एन.के.बंसल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 25.04.2015 से 29.04.2015 तक श्री ए0के0 भारतीया, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2009 से 03/2015 तक एवं व्यय हेतु माह ------- से ------ तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह ---------- से ---------- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** -

3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	225.25
2016-17	212.02
2017-18	239.56

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16								
2016-17					शून्य			
2017-18								

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
ऐसी कोई योजना नहीं है।					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -C--श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

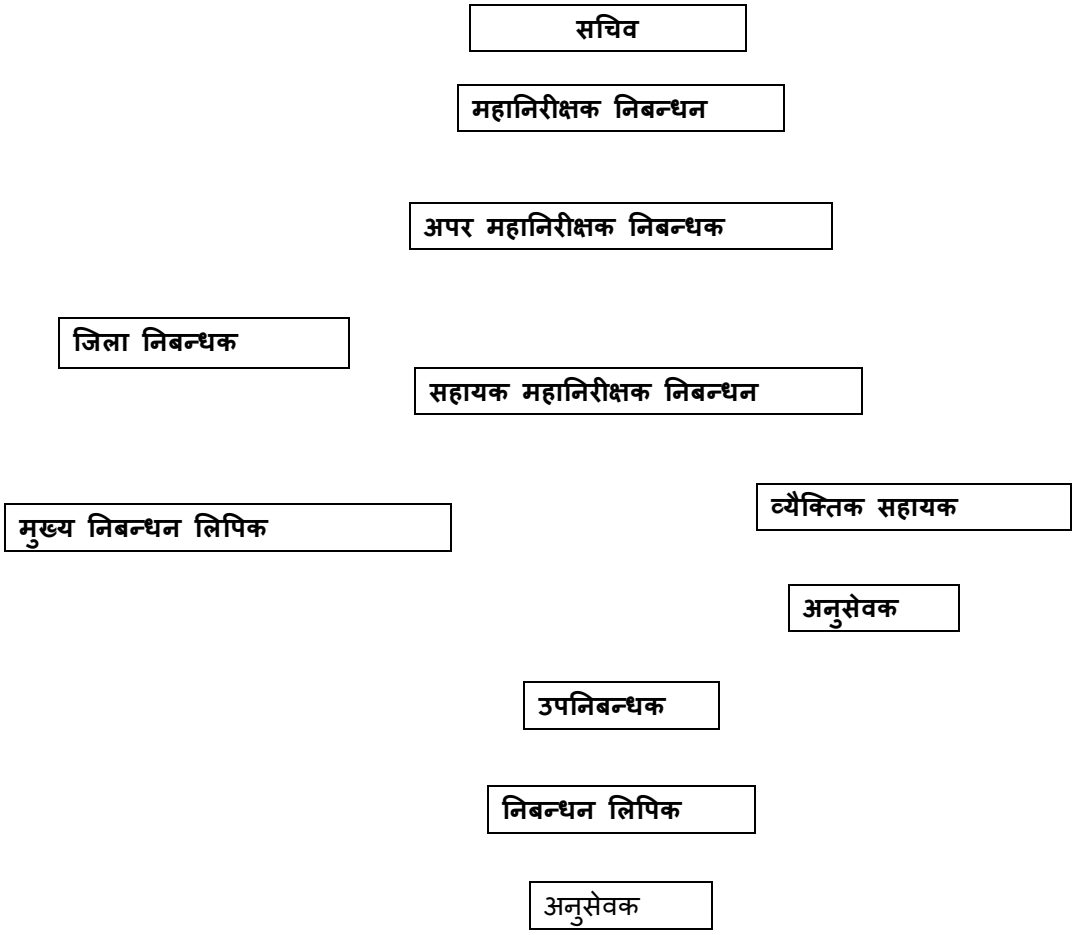

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **चिनयाली सौड, डुण्डा, भरवारी एवं उत्तरकाशी मुख्यालय** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उप निबंधक उत्तरकाशी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्वः माह 03/2018, 10/2016, 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्ययः माह ---------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II(ब)

प्रस्तर सं॰ 1 : स्टांप शुल्क की कम वसूली ` 0.94 लाख।

(अ) उत्तराखंड शासन संख्या 217/(1/)/2017/XXXVII /(9)/स्टाम्प -53 /2009 दिनांक 31-07-2017 को जारी एवं पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 342 /XXVII(9)/2013 /स्टांप -53/2009 दिनांक 26-07-2013 का अतिक्रमण करते हुये प्रकाशित होने के दिनांक से वैयक्तिक या प्रथक रूप से एक या उससे अधिक महिलयों के पक्ष मे 25 लाख रुपये तक की स्थावर संपति के अंतरण पर स्टाम्प शुल्क मे अनुमन्य 25% तक की छूट किसी भी महिला क्रेता को उसके जीवनकाल मे अधिकतम दो बार अनुमन्य किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं |

कार्यालय उप निबंधक उत्तरकाशी की 04/2015 से 03/2018 तक के अभिलेखो की विलेख पत्रों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे निम्नलिखित कामियाँ पाई गई थी, जिनके विवरण निम्न हैं|

(1) बही -01, जिल्द संख्या 987, क्रमांक 997 दिनांक 03-08-17 को पंजीकृत कराया गया था जिस पर महिला क्रेता द्वारा स्टाम्प शुल्क 1,25,500/- अदा किया गया था, जो कि गलत हैं, सही स्टाम्प शुल्क कि गणना निम्नानुसार होगी |

भूमि एवं भवन के मूल्यांकन कि राशि =` 30,00,000/-

देय स्टाम्प शुल्क =2500000×3.75 %+500000×5% =1,18,750/-

दिया गया स्टाम्प शुल्क =1,12,500/-

स्टाम्प शुल्क मे कमी =6,250 (118750-112500)

(2)) बही -01, जिल्द संख्या 1000, क्रमांक 1047 दिनांक 14 -12 -2017 को पंजीकृत कराया गया था जिस पर महिला क्रेता द्वारा स्टाम्प शुल्क ` 165500/- अदा किया गया था, जो कि गलत हैं, सही स्टाम्प शुल्क कि गणना निम्नानुसार होगी |

भूमि एवं भवन के मूल्यांकन कि राशि =` 44,09,000/-

देय स्टाम्प शुल्क =2500000×3.75 %+1909000 ×5% =1,89,200/-

दिया गया स्टाम्प शुल्क =1,65,500/-

स्टाम्प शुल्क मे कमी=23,700 (189200-165500)

(3) बही -01, जिल्द संख्या 992, क्रमांक 834 दिनांक 4-10-2017 को पंजीकृत कराया गया था जिसपर महिला क्रेता द्वारा स्टाम्प शुल्क ` 113900/- अदा किया गया था, जो कि गलत हैं, सही स्टाम्प शुल्क कि गणना निम्नानुसार होगी |

भूमि एवं भवन के मूल्यांकन कि राशि =` 30,37,000/-

देय स्टाम्प शुल्क =2500000×3.75 %+537000×5% =1,20,600/-

दिया गया स्टाम्प शुल्क =1,13,900/-

स्टाम्प शुल्क मे कमी =6,700(120600-113900)

(4)) बही -01, जिल्द संख्या 966 , क्रमांक 14 दिनांक 12 -01-2017 को पंजीकृत कराया गया था जिसपर महिला क्रेता द्वारा स्टाम्प शुल्क ` 136900 /- अदा किया गया था |जो कि गलत हैं |सही स्टाम्प शुल्क कि गणना निम्नानुसार होगी |

भूमि एवं भवन के मूल्यांकन कि राशि =`36,50,000/-

देय स्टाम्प शुल्क =2500000×3.75 %+1150000 ×5% =1,51,250/-

दिया गया स्टाम्प शुल्क =1,36,900/-

स्टाम्प शुल्क मे कमी =14,350 (151250 -136900)

(5) बही -01, जिल्द संख्या 940, क्रमांक 643 दिनांक 17 -06-2016 को पंजीकृत कराया गया था जिसपर महिला क्रेता द्वारा स्टाम्प शुल्क ` 141050 /- अदा किया गया था, जो कि गलत हैं, सही स्टाम्प शुल्क कि गणना निम्नानुसार होगी |

भूमि एवं भवन के मूल्यांकन कि राशि =`37,50,000/-

देय स्टाम्प शुल्क =2500000×3.75 %+1250000 ×5% =1,56,250/-

दिया गया स्टाम्प शुल्क =1,41,050/-

स्टाम्प शुल्क मे कमी =15,200 (156250 -141050)

(6) बही -01, जिल्द संख्या 956, क्रमांक 989 दिनांक 07-10-2016 को पंजीकृत कराया गया था जिसपर महिला क्रेता द्वारा स्टाम्प शुल्क `121200/- अदा किया गया था, जो कि गलत हैं, सही स्टाम्प शुल्क कि गणना निम्नानुसार होगी |

भूमि एवं भवन के मूल्यांकन कि राशि =`32,32,000/-

देय स्टाम्प शुल्क =2500000×3.75 %+732000 ×5% =1,30,350/-

दिया गया स्टाम्प शुल्क =1,21,200/-

स्टाम्प शुल्क मे कमी =9,150 (130350 -121200)

(7) बही -01, जिल्द संख्या 952, क्रमांक 888 दिनांक 30-08-2016 को पंजीकृत कराया गया था जिसपर महिला क्रेता द्वारा स्टाम्प शुल्क ` 131300/- अदा किया गया था, जो कि गलत हैं, सही स्टाम्प शुल्क कि गणना निम्नानुसार होगी |

भूमि एवं भवन के मूल्यांकन कि राशि =`35,00,000/-

देय स्टाम्प शुल्क =2500000×3.75 %+1000000 ×5% =1,43,750

दिया गया स्टाम्प शुल्क =1,31,300/-

स्टाम्प शुल्क मे कमी =12,450 (143750 -131300)

उपरोक्त विलेख पात्रो मे कुल स्टाम्प शुल्क कि कमी ` **87,800**/- (6250+23700+6700 +14350+15200+9150 +12450) की वसूली न किए जाने के कारण राजस्व हानी हुई थी ।

उक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर ,इकाई द्वारा अवगत कराया गया की स्टाम्प कमी की वसूली कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा |

अत: स्टाम्प शुल्क ` **87,800**/- की कमी का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान मे लाया जाता हैं |

(ब) उत्तराखंड शासन संख्या 42XXVII /(9)2014/स्टाम्प -03/2014 दिनांक 26.02.2014 एवं संख्या 188 /2014/XXVII(9)/स्टांप -03/2014 दिनांक 20-08-2014 के अनुसार वैयक्तिक या प्रथक रूप से राज्य के सेवारत /सेवानृवित सैन्य अधिकारियों /कार्मिको को 25 लाख तक

की स्थावर संपति के अंतरण पर स्टाम्प शुल्क मे अनुमन्य 25% तक की छूट को प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया हैं|

कार्यालय उप निबंधक उत्तरकाशी की 04/2015 से 03/2018 तक के अभिलेखो की विलेख पत्रों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे निम्नलिखित कामियाँ पाई गई थी, जिनके विवरण निम्न हैं:-

(1) बही -01, जिल्द संख्या 988 , क्रमांक 698 दिनांक 03-08-17 को पंजीकृत कराया गया था जिसपर सैन्य कर्मी क्रेता द्वारा स्टाम्प शुल्क 1,12,500/- अदा किया गया था, जो कि गलत हैं, सही स्टाम्प शुल्क कि गणना निम्नानुसार होगी |

भूमि एवं भवन के मूल्यांकन कि राशि =` 30,00,000/-

देय स्टाम्प शुल्क =2500000×3.75 %+500000×5% =1,18,750/-

दिया गया स्टाम्प शुल्क =1,12,500/-

स्टाम्प शुल्क मे कमी =` 6,250/- (118750-112500)

उपरोक्त विलेख पत्र मे कुल स्टाम्प शुल्क कि कमी ` **6250/-** की वसूली न किए जाने के कारण राजस्व हानि हुई थी ।

उक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया की स्टाम्प कमी की वसूली कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा |

अत: स्टाम्प शुल्क ` **6250**/- की कमी का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान मे लाया जाता हैं |

भाग-II(ब)

प्रस्तर सं०2 : स्टांप शुल्ककमी एवं टीडीएस न जमा किए जाने के फलस्वरूप राजस्व क्षति ` 1.23 लाख।

अपर महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखंड के पत्रांक 535 दिनांक 27-08-2013 के अंतर्गत आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-1A द्वारा रु 50 लाख या उससे अधिक मूल्य के हस्तानंतरण विलेखो पर 1 % की दर से क्रेता द्वारा टीडीएस का भुगतान किए जाने के निर्देश दिये गए हैं |

कार्यालय उप निबंधक उत्तरकाशी की 04/2015 से 03/2018 तक के अभिलेखो की विलेख पत्रों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे विलेख पत्रो मे निम्नलिखित कामिया पाई गई थी, जिनके विवरण निम्न हैं:-

(1) बही -01, जिल्द संख्या 949, क्रमांक 825 दिनांक 11 -08-16 को पंजीकृत कराया गया था जिसपर क्रेता द्वारा स्टाम्प शुल्क 300000 /-जमा किया गया था | उक्त विलेख मे क्षरण का लाभ की गणना त्रुटिपूर्ण थी एवं नियमानुसार टीडीएस की भी कटौती नहीं की गई थी | इसलिए सही स्टाम्प शुल्क कि गणना निम्नानुसार हैं|

वयनामा विक्रय मूल्य =` 60,00,000/-

भूमि का मूल्यांकन कि राशि =` 32,61,600/-(भूमि की दर 815400 ×भूमि है0 80÷20 तथा उक्त भूमि की दर 1 नाली =20 है0 मे दी गई है)

निर्मित भवन का मूल्यांकन=250 .18 वर्ग मीटर × दर 17204 × 0.682 (क्षरण 38 वर्ष)=29,35,394

बाउंड्री वाल = ` 69,860

योग = 62,66,854/- (3261600+2935394 +69860)

देय स्टाम्प शुल्क =313343/-(6266854×5%)

दिया गया स्टाम्प शुल्क =3,00,000/-

स्टाम्प शुल्क मे कमी =13,343 (313343 -300000)

उक्त स्टम्प कमी के अतिरिक्त क्रेता द्वारा 1% टीडीएस ` 60000 /- नहीं जमा कराया गया था जिससे स्टाम्प ` 13343 /- +टीडीएस रु 60000/- की कुल धनराशि ` **73,343**/- राजस्व हानि हुई थी |

(2)बही -01, जिल्द संख्या 1001 , क्रमांक 1069 दिनांक 18-02-17 को पंजीकृत कराया गया था जिस पर क्रेता द्वारा स्टाम्प शुल्क रु 252880 /-जमा किया गया था भूमि बाजारी मूल्यांकन की धनराशि ` 50,57,500 /-एवं वयनामा की धनराशि ` 50,00,000/- पर नियमानुसार टीडीएस ` 50,000/- की भी कटौती नहीं की गई थी |जिसके कारण ` **50,000 /-** की राजस्व हानि हुई थी|

उक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर ,इकाई द्वारा अवगत कराया गया की वसूली हेतु संबन्धित क्रेता को नोटिस जारी कर स्टाम्प कमी एवं टीडीएस कीवसूली कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

अत: स्टाम्प शुल्क एवं टीडीएस ` **1,23,343/- (73,343+50,000)** कमी का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान मे लाया जाता हैं |

STAN

प्रस्तर सं० 1 : स्टांप शुल्क की कम वसूली ` 3276/-

जिलाधिकारी जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा निर्गत मूल्यांकन दर सूची के सामान्य अनुदेशिका में प्रावधानित किया है कि क्रमांक 27(वी) के अनुसार विलेख मे वर्णित भूमि /संपति की चौहद्दी मे वर्णित सड़क -सड्को / मार्ग /मार्गो की चौड़ाई (मीटर) मे अंकित किया जाना अनिवार्य होगा

कार्यालय उप निबंधक उत्तरकाशी के माह 04/2015 से 03/2018 तक की लेखा अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि बही सं० 1, जिल्द 1011 क्रमांक 251 दिनांक 15.03.2018 के विलेख में दर्शाई गयी चौहद्दी में मार्ग अंकित नहीं था एवं विलेख में मार्ग होने का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। जिसके कारण भूखंड की आंकलित कीमत को सही स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए न्यूनतम 5 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग की दशा में भूखंड की कीमत में 5% की वृद्धि के पश्चात भूमि का मूल्यांकन की राशि रु 1400910/- (` 1334200 + 5%) पर देय स्टांप शुल्क निम्न प्रकार है :

कुल देय स्टांप शुल्क : ` 70046/- (`1400910X 5%)

जमा स्टांप शुल्क : ` 66770 /-

स्टांप शुल्क मे कमी : ` 3276/-

उक्त विलेख में ` 3276 /- की स्टांप शुल्क की कमी हुई थी जिस पर नियमानुसार शास्ति भी देय है।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि स्थल निरीक्षण हेतु संदर्भित किया जाएगा, तत्पश्चात स्टांप शुल्क की कमी पायी गयी तो वसूली कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

अत: ` 3276/- की स्टांप कमी का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

व्यय से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रारम्भ की स्थिति		निस्तारण		अवशेष	
	2 क	2 ब	2 क	2 ब	2 क	2 ब
28/2003-04	-	1	-	-	-	1
05/2006-07	**-**	**1**	-	-	**-**	**1**
03/2009-10	**-**	**1**	-	-	**-**	**1**
03/2015-16	**-**	**1**	-	-	**-**	**1**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी
	शून्य		

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V
आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उप निबंधक उत्तरकाशी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   शून्य टिप्पणी

2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	श्री रमेशचन्द्र नोटियाल	उपनिबन्धक	04/2015 से 30/11/2016
(ii)	श्री जयवीर सिंह परमार	उपनिबन्धक	1/12/16 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उप निबंधक उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र